10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. -------/निगरानी/15-16 निग/3422/II/15

अमरसिंह पुत्र प्राणसिंह वयस्क, कृषक
निवासी ग्राम निवासी धूनाकलां
तहसील व जिला सीहोर ------------------------निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1/सुनीताबाई पत्नि गुलाबसिंह वयस्क
2/गुलाबसिंह पुत्र हरीसिंह वयस्क
3/कमलसिंह पुत्र सांवतसिंह वयस्क
4/शिवचरण पुत्र रामप्रसाद वयस्क
सभी निवासी व कृषक ग्राम धूनाकलां
तहसील व जिला सीहोर म.प्र.
5/म.प्र.शासन ----------------------------------रैस्पान्डेन्टस.

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 26/6/15, प्र.क्र. 28/अ-12/14-15 सुनीताबाई विरुद्ध म.प्र.शासन पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील सीहोर जिसके द्वारा सीमांकन कार्यवाही दिनांक 1/5/15 एंव सीमांकन प्रतिवेदनदिनांक 2/5/15 की पुष्टि की गई। जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 9/9/15 को प्र.क्र. 2/अ-70/14-15 का सूचनापत्र दिनांक 20/8/15 की पेशी पर उपस्थित होने पर और सत्य प्रतिलिपि मांगने पर दिनांक18/9/15 को हुई।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

महोदय,

निगरानीकर्ता अधि.न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव सीमांकन कार्यवाही से असंतुष्ट एंव दुखी होकर निम्नांकित तथ्या एंव आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

1:- यहकि रैस्पांडैंट क्र. 1/सुनीताबाई ने ग्राम धूनाकलां स्थित भूमि सर्वे नंबर 22/2 एंव 103/~~2~~-196 एंव 620/222 कुल रकबा 1.068 हैक्टयर का सीमांकन आवेदनपत्र द्वारा पुत्र जीवन प्रस्तुत किया जिसपर

Shivordiya

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3422–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अमर सिंह / सुनीता	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी नायब तहसीलदार सीहोर के प्रकरण कमांक 28 / अ–12 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 26.06.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. गुरौंदिया द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.6.15 का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश का तथा उसके संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि भूमि सर्वे कमांक 22 / 2, 103 / 2, 196, 620 / 220 के सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर से दिनांक 1.5.15 को सीमांकन कार्यवाही किया जाना निश्चित किया जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र दिनांक 28.4.15 को जारी किया गया। सूचना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि चौकीदार जितेन्द्र द्वारा सूचना पत्र पर टीप दी गयी है कि आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार किया गया है। चौकीदार ग्रामीण स्तर पर लोक सेवक होकर एक जिम्मेदार लोक सेवक की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में चौकीदार की टीप पर संदेह व्यक्त करने का कोई ऐसा पर्याप्त कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति से यह तो स्पष्ट है कि आवेदक सूचना उपरांत भी जानबूझ कर सीमांकन कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं रहे। राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 2.5.15 एवं स्थल पंचनामा दिनांक 1.5.15 में यह अंकित किया गया है कि आवेदक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उपस्थित ग्राम वासी एवं अन्य व्यक्तियों तथा आवेदक की उपस्थित में सीमांकन की कार्यवाही की गयी जिसमें सीमांकित भूमि के राजस्व निरीक्षक	

प्रकरण कमांक R -3422–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अमर सिंह / सुनीता	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के प्रतिवेदन में अंकित स्थिति अनुसार आवेदक का कब्जा पाया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा भी राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार ही सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गयी है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। यहां यह तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि उसे सूचना नहीं थी। विधिक रूप से सूचना प्राप्त होने या सूचना लेने से इन्कार करने की स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं थी। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ऐसा कोई साधार कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार के सीमांकन पुष्टि आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में पृथमदृष्ट्या ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो।

12.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य